संख्या–749/44–1–2010–77/2009

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकमों/निगमों के प्रशासनिक
विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/ वेतनमान में संशोधन ।

महोदय,

वेतन समिति–2008 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकमों/निगमों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–1105/44–1–2009–77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 द्वारा दी गयी थी । इस संबंध में वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–287/दस–59(एम)/08, दिनांक 16 मार्च,2010 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व वेतनमानों के लिए दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन को संशोधित किया गया है ।

2. तद्नुसार संशोधित वेतन बैण्ड/ वेतननान में संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी का वेतन निर्धारण करने का कष्ट करें ।

3. उपर्युक्त शासनादेशक संख्या– 1105/44–1–2009–77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर,2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–749(1)/44–1–2009–77/2009, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–1 तथा 2 ।
2. सार्वजनिक उपकमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क , उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या–व0आ0–2–207/दस–59(एम)/2010

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति शासनादेश संख्या–व0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा दी गयी थी। भारत सरकार द्वारा कतिपय वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णयों के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर पुनरीक्षण पूर्व वेतनमानों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4(रू0 37400–67000) एवं ग्रेड वेतन रू0 12000/– के स्थान पर वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से–79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।

(2) राजकीय कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 6500–10500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) में ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया जाय।

2– उपर्युक्तानुसार संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण एवं तदनुसार निर्धारित वेतन के फलस्वरूप देय अवशेष,

यदि कोई हो, का भुगतान शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/ दस–59 (एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुसार किया जायेगा।

3– उपर्युक्तानुसार वेतन बैण्ड/वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4– उपर्युक्त शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1314/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–287(1)/दस–59(एम)/08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I एवं II तथा (आडिट)–I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक, संस्थान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– उत्तर प्रदेश संसदीयालय के समस्त सं0 पार्ष।
9– इरजा चैक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
अनुभाग सचिव।